CANCELLED CANCELLED

(24)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म0प्र0

मर्दन पिता चंदन सिंह कुर्मी आयु 60 वर्ष

निवासी ग्राम खडेसरा तह. खुरई जिला सागर म0प्र0 ....आवेदक

I/निगरानी/सागर/भू.रा/2017/4968

//विरूद्ध//

B-O-R 02 NOV 2017

रामकिशन पित हल्के आयु करीब 55 वर्ष

निवासी ग्राम खडेसरा तह. खुरई जिला सागर म0प्र0 ....अनावेदक

नि0प्र0क्र0 **ता0 पेशी**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

आवेदक अपर आयुक्त महोदय के प्रकरण क्र. 895/अ–6/वर्ष 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 03.10.2017 से दुखित होकर यह निगरानी श्रीमान राजस्व मंडल में प्रस्तुत की है।

1. यह कि अपर आयुक्त महोदय प्रकरण क्र. 895/अ–6/वर्ष 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 03.10.2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी महोदय के प्रकरण क्र. 52/अ–6/वर्ष 15–16 विधि अनुसार न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वंदोवस्त पूर्व मर्दन सिंह के नाम से भूमि खसरा नंबर 290/1 रकवा 4.61 हे0 भूमि पटवारी अभिलेख में ग्राम खडेसरा में अंकिल थी उक्त भूमि में से 0.60 हे0 हरप्रसाद को 0.80 हे0 दयाराम को 0.40 हे0 गंगाराम को एवं 0.10 हे0 भूमि कंजिया

208 27/11/017

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/4968

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/03/2018	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक तथा अनावेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा प्रकरण के समग्र पहलुओं पर विचार करते हुए बन्दोबस्त के पूर्व एवं बन्दोबस्त के बाद हुए रकवा परिवर्तन आदि के संबंध में सम्यक दस्तावेज व साक्ष्य आदि का अवलोकन करने के बाद तुलनात्मक विवरण के आधार पर विस्तार से आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में की है। आवेदक द्वारा ऐसा कोई ठोस एवं विधिक आधार प्रस्तुत नही किया गया है, जिस कारण यह निगानी ग्राहय योग्य प्रतीत हो। अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	